

जनजातीय समाज

आइये सीखें

- जनजातियाँ क्या हैं?
- जनजातीय समाज में संगठन।
- जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन।
- संविधान में जनजातियों के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं?

हमारे देश में कई जातियों तथा धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ वनांचलों में रहते हैं। इन लोगों की अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएँ होती हैं। नगरीय समाज से इनका सम्पर्क सीमित हद तक होता है। सुदूर जंगलों में इनका निवास होने से तथा विशिष्ट जीवन शैली के कारण इन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, गिरीजन या वन्य जातियों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आशय, संबंधित स्थान के मूल निवासी से है।

जनजातियों की प्रमुख विशेषताएँ

1. एक जनजाति एक निश्चित भू-भाग में निवास करती है।
2. इनकी प्रायः अपनी भाषा (बोली) होती है।
3. एक जनजाति के सदस्यों की अपनी संस्कृति रहन-सहन व जीवन शैली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं।
4. एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह सम्बन्ध बनाते हैं।

संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना की थी। अतः समाज के ऐसे वर्ग जो अपेक्षाकृत कम प्रगति कर पाये थे या पिछड़े थे उनके लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये गये। आदिवासी या जनजातियाँ भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े रह जाने के कारण उनके लिये भी संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। प्रत्येक राज्य में कौन से आदिवासी या जनजाति वर्ग इन विशेष प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे यह संविधान में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिये इन जनजातियों की अनुसूची तैयार कर संविधान में शामिल की गई है। अतः इन्हें अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

केवल वे जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं, जो सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं।

जनजातीय समाज में संगठन

समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक, प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का अपना संगठन होता है, जिसके कारण समाज के सदस्य एकजुट रहते हैं।

सामाजिक संगठन का तात्पर्य है- “सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखना।”

जनजातियों में सामाजिक संगठन के अंतर्गत नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश समूह, गोत्र आदि का विशेष महत्व है।

जनजातियों में उनके निवास की प्रकृति एवं स्थानीय आधार पर खानाबदोशी (घुमन्तू) समूह, जनजाति आदि भागों में बांटा जा सकता है। जनजातियों के कुछ सामाजिक संगठन इस प्रकार हैं-

(1) गोत्र संगठन- जनजाति का कोई न कोई गोत्र अवश्य होता है तथा एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई-बहन माने जाते हैं। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं।

(2) खानाबदोशी समूह- इन समूहों के लोग घुमक्कड़ होते हैं तथा एक निश्चित भू-भाग में निरंतर घूमते रहते हैं। इनका जीवन कठोर होता है।

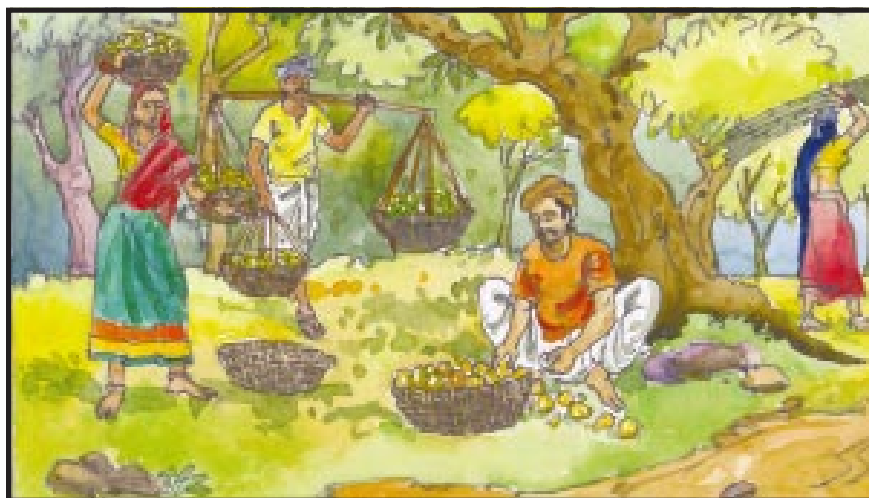
ऐसे प्रत्येक समाज में कई छोटे-छोटे सामाजिक समूह होते हैं, जो मनुष्यों के आपसी संबंधों के फलस्वरूप बनते हैं। ये समूह अलग-अलग होते हुए भी संगठित रहते हैं। ऐसे संगठित सामाजिक स्वरूप को ‘सामाजिक संगठन’ कहते हैं।

जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन

आर्थिक जनजीवन

जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। इनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। ये अपनी सीमित आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ये जनजातियां कृषि, वन उपज संग्रह तथा मजदूरी करके अपना जीवनयापन करती हैं। इनकी काफी बड़ी संख्या वन क्षेत्रों में निवास करती है। सरकारी नीतियों व प्रयासों के कारण इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

उद्योग-धंधों में विस्तार के कारण जनजाति के लोग रोजगार के लिये नगरों व शहरों की ओर आकर्षित हुए हैं तथा उत्खनन, निर्माण कार्य, परिवहन, व्यापार और अन्य सेवाओं में भागीदारी कर रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करने से आज अर्थ व्यवस्था को गति मिली है।



वनोपज संग्रह

मध्यप्रदेश में जनजातियों में विशेषकर गोंड एवं भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन वनोपज संग्रह है। वनोपज संग्रहण में तेंदू, अचार, हरी, बहेड़ा, महुआ, सालबीज आदि वनोपज के साथ कंदमूल व शहद का संग्रहण करना गोंडी एवं भीली जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। कुछ जनजाति विशेषकर गोंड एवं बैगा वनौषधि से इलाज करने का भी कार्य करते हैं। वनोपज एकत्र करने के अतिरिक्त बाँस की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, बड़ईगिरी, लोहे के औजार बनाना, बोझा ढोने, कृषि व कृषि मजदूरी का कार्य भी करते हैं।

सामाजिक जनजीवन

जनजाति के लोग प्रकृति की गोद में सरल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ जातियाँ खानाबदोश हैं। उनकी सरल जीवनशैली में रीति-रिवाजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जनजातीय समाज की अपनी परम्पराएँ और मान्यताएँ होती हैं। इन्हीं के अनुसार ये अपने बच्चों के नामकरण व विवाह संस्कार करते हैं। इनके कुछ परिवारों में पिता तथा कुछ परिवारों में (दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में) माता मुखिया होती हैं।

जनजातीय समाजों में पुत्री का जन्म भार स्वरूप नहीं माना जाता। जनजातीय समाज में परम्पराएँ, रीति-रिवाज, सामाजिक निषेध आदि बातों का पालन किया जाता है। भील लोग बच्चे के जन्म के छठे दिन छटी मनाते हैं। गोंडी जनजाति में बच्चे के जन्म पश्चात रात्रि में महिलाएँ लोक गीत का गायन करती हैं तथा ये मृतक का विधिवत अग्नि संस्कार करते हैं, अग्नि-संस्कार के तीसरे दिन मुण्डन, घर द्वार की साफ-सफाई व स्नान सामूहिक तौर पर किया जाता है।

सांस्कृतिक जनजीवन

जनजातियों की अपनी अलग पहचान व संस्कृति है। संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति के अभिन्न अंग

है। कृषि कार्यों, त्योहारों आदि के अवसरों पर गाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। संस्कृति से संबंधित नियमों की अवहेलना करने पर कठोर सामाजिक दंड दिया जाता है। जनजाति के मुखिया व बड़े बुजुर्ग अपने सांस्कृतिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हैं। ये दंडों का निर्धारण भी करते हैं। निवास और व्यवसायों में समयगत परिवर्तन के कारण वर्तमान में इनकी संस्कृति में बदलाव भी होने लगा है।

भील जनजाति में होली के समय मनाया जाने वाला उत्सव 'भगोरिया हाट' का विशेष महत्व होता है। भगोरिया, घेड़िया आदि नृत्य प्रमुख होते हैं। इनके भित्तिचित्रों में पिठौरा-शैली के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं।



गुदना

आदिम जनजातियों के लोगों में अपने शरीर पर शुभचिह्न, पशु पक्षियों और गहनों के चित्र, नाम इत्यादि

का शरीर पर स्थायी अंकन करवा लेने की प्रथा लोकप्रिय है। इस अंकन को 'गुदना' कहा जाता है। जनजातियों के लोगों का विश्वास होता है कि गुदना उनके जीवन भर के आभूषण हैं।



पिठौरा शैली का चित्र

संविधान में जनजातीय कल्याण के लिए कुछ व्यवस्थाएँ

जनजातीय विकास के लिए हमारे संविधान निर्माता भी सजग रहे एवं जनजातियों के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान किये। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
2. सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, सड़कों, कुंआ, तालाबों आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा।
3. व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से करने की व्यवस्था की गई है।
4. शिक्षण संस्थाओं में धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जावेगा।
5. लोक सभा, विधानसभाओं, पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में इन वर्गों के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
6. संघ एवं राज्य सरकारों की सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

संविधान की मूल भावना में यह है कि इन वर्गों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समर्पित भाव से किया जावेगा, ताकि ऐसे समाज की स्थापना हो सके, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसके व्यक्तित्व का विकास हो।

अभ्यास प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

- (अ) आदिवासी शब्द का आशय बताइए।
- (ब) जनजाति किसे कहते हैं?
- (स) मध्यप्रदेश की कोई दो जनजातियों के नाम लिखिए।
- (द) सामाजिक संगठन किसे कहते हैं?

2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- (अ) जनजातियों की कोई चार विशेषताएँ बताइये।
- (ब) भारतीय संविधान में जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं? लिखिए।
- (स) जनजातियों के आर्थिक या सामाजिक जीवन पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए।
- (द) जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए।

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

- (अ) 'भगोरिया' जनजाति में लोकप्रिय है।
- (ब) जनजातीय महिलाएँ को जीवन भर का आभूषण मानती हैं।
- (स) लोक सभा, विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों में जनजातियों के लिये दिया गया है।
- (द) पिठौरा जनजातियों का भित्ति चित्र है।

प्रोजेक्ट कार्य

- किन्ही चार आदिवासी बाहुल्य जिलों के नाम लिखें एवं वहाँ निवास करने वाली एक-एक जनजाति का नाम लिखें।
- किसी एक जनजाति के सांस्कृतिक जीवन की विशेषताओं का चार्ट बनाइए।

